न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1148 / 2024

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 20/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 226 / 205 की कुल 5.6410 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि सतवीर पुत्र जयसिंह के नाम दर्ज है तथा उक्त भूमि में से 0.5060 हैक्ट भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 23.05.2014 को सतवीर पुत्र जयसिंह से वादी ने खरीद की है।

जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 23.05.2014 को वादी द्वारा सतवीर पुत्र जयसिंह से खरीद की गई है एवं विक्रेता द्वारा उक्त भूमि का कब्जा क्रेता को संभला दिया गया था। बैयनामा के बाद सतवीर पुत्र जयसिंह ने दिनांक 26.05.2024 जमाबंदी में दर्ज अपनी सम्पूर्णी भूमि पर केसीसी बनवा ली जिस कारण से वादी द्वारा खरीद की गई भूमि का नामान्तरण दर्ज नही हुआ है जिससे वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। इसलिए वादी मुताबिक बैयनामा उक्त वाद भूमि में से खरीद की गई 0.5060 हैक्ट भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। । प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी व रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 25.04.2014 की चित्रप्रति पेश की।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने निवेदन किया की उक्त भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 23.05.2014 को वादी द्वारा सतवीर पुत्र जयसिंह से 0.5060 हैक्ट भूमि खरीद की गई है एवं विक्रेता द्वारा उक्त भूमि का कब्जा क्रेता को संभला दिया गया था। बैयनामा के बाद सतवीर पुत्र जयसिंह ने दिनांक 26.05.2024 जमाबंदी में दर्ज अपनी सम्पूर्णी भूमि पर केसीसी बनवा ली जिस कारण से वादी द्वारा खरीद की गई भूमि का नामान्तरण दर्ज नही हुआ है जिससे वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। इसलिए वादी मुताबिक बैयनामा उक्त वाद भूमि में से खरीद की गई 0.5060 हैक्ट भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:41:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 226/205 की कुल 5.6410 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि सतवीर पुत्र जयसिंह के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैयनामा के मुताबिक वादी द्वारा दिनांक 23.05.2014 को उक्त भूमि में से 0.5060 हैक्ट भूमि खरीद की गई है जिसका नामानतरण आदिनांक तक दर्ज नही हुआ है। अत वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 226/205 की कुल 5.6410 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा सतवीर पुत्र जयसिंह के नाम दर्ज है, में से 0.5060 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि सतवीर पुत्र जयसिंह के नाम यथावत रहेगी। । किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/01/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:41:47 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1148 / 2024

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955 प्र0स0 1148 वर्ष 2024 निर्णय दिनांक - 20/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 14 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 226 / 205 की कुल 5.6410 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा सतवीर पुत्र जयसिंह के नाम दर्ज है, में से 0.5060 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि सतवीर पुत्र जयसिंह के नाम यथावत रहेगी। । किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 20/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:41:47 IST
Reason: SelfAttested